झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग

स्वी० संख्या–4 / यो० बजट–72 / 2015 23/स्वी० व०प०, राँची, दि०– 01.07.2015

प्रेषक,

एo केo रस्तोगी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
पो०–डोरण्डा,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षो के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यो के लिए कुल 728.374 लाख (सात करोड़ अठाइस लाख सैंतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में अग्रिम कार्य हेतु 304.498 लाख (तीन करोड़ चार लाख उनचास हजार आठ सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग:– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–300 दिनांक–30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनांतर्गत "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत कुल रू0 1652.700 लाख (सोलह करोड़ बावन लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना अंतर्गत (बाँस गैबियन से पौधा रोपण) सड़क किनारें वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य प्रस्तावित है।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक कार्यान्वित की जाने वाली पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के अंतर्गत 39732 अदद बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्य (परिशिष्ट–I) की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है:–

(राशि लाख में)

| क्र0 | कार्य विवरणी | प्राथमिक इकाई | वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक का वित्तीय लक्ष्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | कुल |
| 1. | 39732 अदद बाँस गेबिनयन वृक्षारोपण का चार वर्षीय कार्य | मजदूरी | 154.152 | 114.682 | 103.624 | 113.987 | 486.445 |
| | | आपूर्ति एवं सामग्री | 150.346 | 36.355 | 27.614 | 27.614 | 241.929 |
| | **कुल** | | **304.498** | **151.036** | **131.238** | **141.601** | **728.374** |

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्ष/इकाईवार राशि की मदवार विवरणी निम्नवत् है :–

**(राशि लाख में)**

| योजना का नाम | इकाई | विपत्र कोड | बजटीय उपबंध | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–13–पथ तट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना | मजदूरी | 19P240601789130103 | 1289.990 | 154.152 |
| | आपूर्ति एवं सामग्री | 19P240601789130323 | 362.710 | 150.346 |
| **कुल स्वीकृत राशि– (तीन करोड़ चार लाख उनचास हजार आठ सौ रूपये)** | | | **1652.700** | **304.498** |

5. पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के संबंध में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी /उप वन संरक्षक, कार्य योजना तैयार कर दिनांक 30 जून 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 10 जुलाई 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–1 में अंकित विवरणी के अनुरुप होगें। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

7. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे। राशि का व्यय वास्तविक रुप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

23/स्वी0
01.07.2015

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन [illegible] विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक [illegible] के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16 तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाऐं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

23/स्वी०
1.07.2015

17. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

18. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

19. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

20. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

21. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जाएगा।

22. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय संकल्प-3542, दिनांक-19.12.2011 में निरूपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

23. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो0 बजट-72/2015 23/स्वी० व0प0/राँची, दिनांक- 01.07.201

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विकास आयुक्त, झारखंड, राँची /योजना एवं विकास विभाग, झारखंड, राँची /वित्त विभाग झारखंड, राँची /सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखंड राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक -4/यो0 बजट-72/2015 23/स्वी० व0प0/राँची, दिनांक-01.07.201

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी" योजना (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्ष... अग्रिम कार्य एवं तीन वर्षों के लिए समापन एवं सम्पोषण कार्यों का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 187.43, वर्ष 2016–17 में रू0 206.17, वर्ष 2... में रू0 226.79 एवं वर्ष 2018–19 में रू0 249.47 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख...)

| क्र. सं. | कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम | गैबियन संख्या में | वित्तीय वर्ष 2015–16 (अग्रिम कार्य) | | | वित्तीय वर्ष 2016–17 (समापन कार्य) | | | वित्तीय वर्ष 2017–18 (सम्पोषण कार्य) | | | वित्तीय वर्ष 2018–19 (सम्पोषण कार्य) | | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि | |
| | | | 387.98 | 378.40 | 766.38 | 288.64 | 91.50 | 380.14 | 260.81 | 69.50 | 330.31 | 286.89 | 69.50 | 356.39 | [illegible] |
| i | ii | iii | vi | v | vi | vii | viii | ix | x | xi | xii | xiii | xiv | xv | [illegible] |
| 1 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 2481 | 9.626 | 9.388 | 19.014 | 7.161 | 2.270 | 9.431 | 6.471 | 1.724 | 8.195 | 7.118 | 1.724 | 8.842 | 45.482 |
| 2 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 2481 | 9.626 | 9.388 | 19.014 | 7.161 | 2.270 | 9.431 | 6.471 | 1.724 | 8.195 | 7.118 | 1.724 | 8.842 | 45.487 |
| 3 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 2111 | 8.190 | 7.988 | 16.178 | 6.093 | 1.932 | 8.025 | 5.506 | 1.467 | 6.973 | 6.056 | 1.467 | 7.523 | [illegible] |
| 4 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 2111 | 8.190 | 7.988 | 16.178 | 6.093 | 1.932 | 8.025 | 5.506 | 1.467 | 6.973 | 6.056 | 1.467 | 7.523 | [illegible] |
| 5 | कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा | 2111 | 8.190 | 7.988 | 16.178 | 6.093 | 1.932 | 8.025 | 5.506 | 1.467 | 6.973 | 6.056 | 1.467 | 7.523 | [illegible] |
| 6 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 2481 | 9.626 | 9.388 | 19.014 | 7.161 | 2.270 | 9.431 | 6.471 | 1.724 | 8.195 | 7.118 | 1.724 | 8.842 | [illegible] |
| 7 | रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ | 2481 | 9.626 | 9.388 | 19.014 | 7.161 | 2.270 | 9.431 | 6.471 | 1.724 | 8.195 | 7.118 | 1.724 | 8.842 | [illegible] |
| 8 | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद | 2481 | 9.626 | 9.388 | 19.014 | 7.161 | 2.270 | 9.431 | 6.471 | 1.724 | 8.195 | 7.118 | 1.724 | 8.842 | [illegible] |
| 9 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 2481 | 9.626 | 9.388 | 19.014 | 7.161 | 2.270 | 9.431 | 6.471 | 1.724 | 8.195 | 7.118 | 1.724 | 8.842 | [illegible] |
| 10 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 2592 | 10.056 | 9.808 | 19.865 | 7.481 | 2.372 | 9.853 | 6.760 | 1.801 | 8.562 | 7.436 | 1.801 | 9.238 | [illegible] |
| 11 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 1170 | 4.539 | 4.427 | 8.967 | 3.377 | 1.071 | 4.448 | 3.051 | 0.813 | 3.865 | 3.357 | 0.813 | 4.170 | [illegible] |
| 12 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 1556 | 6.037 | 5.888 | 11.925 | 4.491 | 1.424 | 5.915 | 4.058 | 1.081 | 5.140 | 4.464 | 1.081 | 5.545 | [illegible] |
| 13 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 2259 | 8.764 | 8.548 | 17.313 | 6.520 | 2.067 | 8.587 | 5.892 | 1.570 | 7.462 | 6.481 | 1.570 | 8.051 | [illegible] |
| 14 | देवघर वन प्रमंडल, देवघर | 2259 | 8.764 | 8.548 | 17.313 | 6.520 | 2.067 | 8.587 | 5.892 | 1.570 | 7.462 | 6.481 | 1.570 | 8.051 | [illegible] |
| 15 | सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर | 2259 | 8.764 | 8.548 | 17.313 | 6.520 | 2.067 | 8.587 | 5.892 | 1.570 | 7.462 | 6.481 | 1.570 | 8.051 | [illegible] |
| 16 | सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग | 2259 | 8.764 | 8.548 | 17.313 | 6.520 | 2.067 | 8.587 | 5.892 | 1.570 | 7.462 | 6.481 | 1.570 | 8.051 | [illegible] |
| 17 | सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा | 2259 | 8.764 | 8.548 | 17.313 | 6.520 | 2.067 | 8.587 | 5.892 | 1.570 | 7.462 | 6.481 | 1.570 | 8.051 | [illegible] |
| 18 | सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा | 1900 | 7.372 | 7.190 | 14.561 | 5.484 | 1.739 | 7.223 | 4.955 | 1.321 | 6.276 | 5.451 | 1.321 | 6.771 | [illegible] |
| | योग :– | 39732 | 154.152 | 150.346 | 304.498 | 114.682 | 36.355 | 151.036 | 103.624 | 27.614 | 131.238 | 113.987 | 27.614 | 141.601 | [illegible] |

(ए0के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव।

23/स्वी0
01.07.2015